रीडर

2008/233
[illegible]

22/1/21 वकील वादी उप० नहीं। बार-बार आवाज दिलाई गई। वकील वादी उप० नहीं। वकील वादी व वादी को अन्तिम आवाज साय 5.30 बजे दिलाई गई। कोई उप० नहीं। अतः वाद वादी अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
अलवर

Signature Not Verified

Digitally signed by Renu Meena
Date: 2021.02.23 12:10:45 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner